महत्वपूर्ण

संख्या- 3/2021/103/18-2-2021-97(ल0उ0)/2016टी0सी0-1

प्रेषक,

नवनीत सहगल
अपर मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उ0प्र0 शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- आयुक्त एवं निदेशक
उद्योग एवं उदयम प्रोत्साहन उ0प्र0, कानपुर।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग 2 लखनऊः दिनांक 19 फरवरी,2021

विषय-जेम पोर्टल से मैनपावर आउटसोर्सिंग क्रय करने हेतु विभागों को सुझाव।

महोदय,

प्रदेश के शासकीय विभागों में सामग्री/सेवाओं के क्रय हेतु भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेण्ट ई-मार्केट प्लेस (जेम) की व्यवस्था को अनिवार्य किये जाने के सम्बन्ध में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उदयम विभाग द्वारा शासनादेश संख्या-11/2017/523/18-2-2017-97(ल0उ0)/2016, दिनांक 23.08.2017 निर्गत किया गया है। विभिन्न शासकीय विभागों तथा उनके अधीनस्थ संस्थानों में आउटसोर्सिंग के आधार पर मानव संसाधन आपूर्ति किये जाने के संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा शासनादेश संख्या-8/2019/20/1/91-क-2/2019, दिनांक 18-12-2019 तथा श्रम विभाग द्वारा शासनादेश संख्या-717/छत्तीस-5-2020-8(26)/2020, दिनांक 18-8-2020 व उक्त सेवायें जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय किये जाने के संबंध में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के शासनादेश संख्या-31/2020/273/18-2-2020-97(ल0उ0)/2016 टीसी, दिनांक 25.08.2020 एवं शासनादेश संख्या-42/2020/ई-153/18-2- 2020-97(ल0उ0)/2016 टीसी, दिनांक 07.12.2020 निर्गत किये गये हैं।

2- अवगत कराना है कि जेम पोर्टल से प्राप्त विवरण से यह संज्ञान में आया है कि जेम पोर्टल से मैनपावर आउटसोर्सिंग सेवाओं की आपूर्ति प्राप्त करने में कतिपय विभागों को विभिन्न कठिनाईया आ रही हैं यथा-जेम पोर्टल पर एक से अधिक संख्या में एल-1 आना, बिड निरस्त करने का स्पष्ट कारण न देना, एम0एस0ई0 इकाईयों को ई0एम0डी0 से छूट, अनावश्यक शर्तें लगा देना आदि। उक्त के सम्बन्ध में निम्नवत सुझाव हैं, जिनके माध्यम से जेम पोर्टल पर सुविधापूर्वक क्रय किया जा सकता है:-

(1) जेम पोर्टल पर एक से अधिक L-1 आने पर बिडर के चयन हेतु Run L-1 Tool का प्रयोग करना अनिवार्य है, सफल बिडर का चयन मैन्युअली नहीं किया जायेगा, जिस हेतु शासनादेश संख्या-31/2020/273/18-2-2020-97 (ल0उ0)/2016टी.सी. दिनांक 25.08.2020 में व्यवस्था की गयी है।

(2) जेम पोर्टल पर बिड में ई0एम0डी0 से छूट दिया जाना, जबकि शासनादेश संख्या-42/2020/ई-153/18-2-2020-97(ल0उ0)/2016टी0सी0, दिनांक 07 दिसम्बर, 2020 में स्पष्ट है कि किसी भी श्रेणी की इकाई को ई0एम0डी0 से छूट/शिथिलता अनुमन्य नहीं है।

(3) बिड/निविदा में सफल निविदादाता द्वारा ई0पी0वी0जी0 जमा कराया जाना आवश्यक है। ई0पी0वी0जी0 में किसी भी श्रेणी की इकाई के लिए छूट अनुमन्य नहीं है। इसके द्वारा सेवाप्रदाता को बिड की शर्ते पूर्ण न करने पर क्रेता द्वारा बैंक गारंटी से उसकी क्षतिपूर्ति की जा सकती है।

(4) बिड में प्रतिभाग करने वाले सभी प्रतिभागियों को उनकी तकनीकी बिड निरस्त करने के स्पष्ट कारण का उल्लेख किया जाना चाहिए, जैसा कि शासनादेश संख्या-42/2020/ई-153/18-2-2020-97(ल0उ0)/2016टी0सी0, दिनांक 07 दिसम्बर 2020 में उल्लिखित है।

(5) जेम पोर्टल पर बिड/निविदा पूर्ण हो जाने पर निविदा को बिना किसी ठोस कारण के निरस्त नहीं किया जाना चाहिए। यदि किसी कारणवश बिड निरस्त करनी आवश्यक हो तो सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् ही बिड निरस्त की जानी चाहिये।

(6) बिड/निविदा हेतु सेवा प्रदाता के लिए अर्ह न्यूनतम सेवा शुल्क 4.5% है। अतः इससे कम सेवा शुल्क निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए। उक्त व्यवस्था हेतु शासनादेश संख्या-42/2020/ई-153/18-2-2020-97(ल0उ0)/2016टीसी, दिनांक 07 दिसम्बर 2020 में प्राविधान किया गया है।

(7) क्रेता द्वारा सफल बिड/निविदा में प्रतिभाग करने वाली इकाईयों की जांच इस दृष्टिकोण से भी की जानी चाहिए कि प्रतिभाग करने वाली इकाईयाँ कहीं एक ही व्यक्ति की तो नहीं है।

(8) बिड/निविदा में प्रतिभाग करने वाली इकाईयों को ई0एम0डी0 अथवा अन्य प्रपत्रों की हार्डकापी उपलब्ध न कराने की स्थिति में तकनीकी रूप से असफल घोषित नहीं किया जाना चाहिए।

(9) शासनादेश संख्या-31/2020/273/18-2-2020-97(ल0उ0)/2016टी.सी., दिनांक 25.08.2020 के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान में कार्य कर रहे आउटसोर्सिंग कर्मियों को ही जेम पोर्टल द्वारा चयनित सेवाप्रदाताओं द्वारा रखा जायेगा। केवल नवीन कर्मियों का चयन सेवायोजन पोर्टल से ही अनिवार्य रूप से किया जायेगा। क्रेता द्वारा इसका परीक्षण किया जाना चाहिए कि सेवा प्रदाता नये कर्मियों को सेवायोजन पोर्टल से ही चयनित करें तथा पुराने कर्मियों को भी सेवा योजन पोर्टल पर पंजीकृत करायें।

(10) क्रेता द्वारा बिड बनाने से पूर्व जेम पोर्टल पर उपलब्ध सम्बन्धित ATC (Additional Terms and Conditions) का भलीभांति अध्ययन कर लेना चाहिए, जिससे अनावश्यक शर्ते (यथा-टोलफ्री नम्बर, OEM Turnover की मांग आदि) जो सेवा क्षेत्र में अनुमन्य नहीं हैं न लगायी जायं।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त मैनपावर आउटसोर्सिंग से सम्बन्धित शासनादेश दिनांक 25 अगस्त, 2020 एवं 07 दिसम्बर, 2020 में वर्णित प्रविधानों एवं सम्बन्धित जेम की ATC (Additional Terms and Conditions) के अनुरूप ही बिड बनाने हेतु अपने अधीनस्थ विभागों/संस्थाओं को निर्देशित करें तथा पूर्व में की गयी निविदाओं/बिड्स का उपरोक्त शासनादेशों के आलोक में परीक्षण करा लें एवं जिन प्रकरणों में शासनादेशों से विचलन है, उन्हें निरस्त करते हुये सम्बन्धित उत्तरदायी कर्मचारी/अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के साथ ही सम्बन्धित फर्मो को क्रेता द्वारा जेम पोर्टल पर डिलिस्ट करने हेतु निर्देश देने तथा उक्त

की सूचना ई-मेल msmesec2@gmail.com व gemcellup@gmail.com पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

नवनीत सहगल
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-42/2020/ई-153/18-2-2020-97(ल0उ0)/2016टी0सी0

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उ0प्र0, कानपुर।
3- समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।
4- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
5- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 07 दिसम्बर, 2020

विषयः-प्रदेश के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में मैनपावर (आउटसोर्सिंग ऑफ मैनपावर) की आपूर्ति जेम पोर्टल के माध्यम से किये जाने विषयक निर्गत शासनादेशों में दिये गये प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रदेश के विभिन्न शासकीय विभागों तथा उनके अधीनस्थ संस्थानों में आउटसोर्सिंग के आधार पर मानव संसाधन की आपूर्ति किये जाने के संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा शासनादेश संख्या-8/2019/20/1/91-क-2/2019, दिनांक 18-12-2019, श्रम विभाग द्वारा शासनादेश संख्या-717/छत्तीस-5-2020-8(26)/2020 दिनांक 18-8-2020 व उक्त सेवायें जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय किये जाने के संबंध में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के शासनादेश संख्या-31/2020/273/18-2-2020-97(ल0उ0)/2016टी.सी., दिनांक 25-8-2020 द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2- अवगत कराना है कि संदर्भगत शासनादेश स्वतः स्पष्ट होने के उपरान्त भी कतिपय विभागों द्वारा उक्त शासनादेशों में वर्णित व्यवस्था का अनुपालन पूर्णरूप से सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है। शासनादेश दिनांक 25-8-2020 में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि "इस शासनादेश के निर्गत होने के पश्चात् जेम पोर्टल/ई-निविदा के माध्यम से पूर्व में निष्पादित हुई निविदाओं, जिनमें क्रयादेश जारी किया जा चुका है, का नवीनीकरण/विस्तारीकरण नहीं किया जायेगा। इस शासनादेश के क्रम में तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-5/2020/20/1/91-क-2/2020 दिनांक 25 जून, 2020 में निर्धारित समयावधि पूर्ण होने पर पूर्ववर्ती निविदायें निरस्त मानते हुए नई निविदायें जेम से की जायेंगी।" यह समय सीमा 25 अगस्त, 2020 को समाप्त हो चुकी है किन्तु यह संज्ञान में आया है कि कतिपय विभागों द्वारा अभी भी पुराने अनुबन्ध को बढ़ाकर पूर्व सेवा प्रदाता कम्पनियों से पुरानी व्यवस्था के अन्तर्गत कार्य लिया जा रहा है अथवा अनुबन्ध को बढ़ाने हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग से अनुरोध किया जा रहा है, जबकि स्पष्ट है कि उक्त शासनादेश के निर्गमन के पश्चात् जेम पोर्टल की नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू हो गयी है।

3- जेम पोर्टल से मैनपावर आपूर्ति के संबंध में उर्पयुक्त शासनादेश में उल्लिखित व्यवस्था से विचलन कदापि न किया जाय और निम्नलिखित बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देते हुये पूर्ण पारदर्शिता बरती जाय-

(i) विभाग द्वारा अपनी आउटसोर्सिंग मानव संसाधन की सकल आवश्यकता को चिन्हित कर जेम पोर्टल की "बन्च निविदा" विधि से एक ही निविदा द्वारा की जाय, जिससे सक्षम सेवाप्रदाता का चयन हो सके।

(ii) ई0एम0डी0 का निर्धारण शासनादेश दिनांक 25.08.2020 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार किया जाय और इसमें किसी प्रकार की छूट या शिथिलता उक्त शासनादेश की व्यवस्था के विपरीत न दी जाय। ई0एम0डी0/एफ0डी0आर0 जमा करने के संबंध में आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के शासनादेश संख्या-1/2018/3070/78-2-2018/42 आई0टी0/2017 (22), दिनांक 03-01-2018 निर्गत है। इसमें उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार ही कार्यवाही की जाय।

(iii) तकनीकी निविदाओं में सभी अर्ह निविदाकर्ताओं को क्वालीफाई घोषित किया जाय, जिससे एक ही सेवाप्रदाता से संबंधित कम्पनियों के ही प्रतिभाग करने की सम्भावना न रह जाय अथवा कम्पनियों के पूल टेण्डर की आशंका न रह सके और स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा हो सके। वर्तमान में ब्लैकलिस्टेड/ डिबार कम्पनी के अतिरिक्त अन्य किसी भी कम्पनी को निविदा में प्रतिभाग करने पर कोई रोक नहीं है। पूर्व में ब्लैकलिस्टेड/डिबार हो चुकी ऐसी कम्पनियाँ जिनकी ब्लैकलिस्टिंग/डिबार अवधि समाप्त हो चुकी है अथवा जिनके पक्ष में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिया गया हो, ऐसी समस्त कम्पनियाँ निविदा में प्रतिभाग कर सकती हैं।

(iv) यदि किसी सेवा प्रदाता कम्पनी की निविदा तकनीकी रूप से अर्ह नहीं है तो इसे निरस्त करते समय स्पष्ट कारण (Speaking Reason) अंकित किया जाना चाहिये तथा सेवा प्रदाता को अपना पक्ष रखने के लिए अनुमन्य समय प्रदान करते हुये उनकी जिज्ञासा का समाधान भी किया जाना चाहिये। बिना सुपष्ट कारण बताये सेवाप्रदाताओं की निविदायें तकनीकी रूप से निरस्त नहीं की जानी चाहिये।

(v) ई0एम0डी0 तथा प्रोफाइल प्रश्नों की हार्ड प्रति के अभाव में किसी सेवा प्रदाता की निविदा तकनीकी रूप से निरस्त नहीं की जानी चाहिये बल्कि इस संबंध में शासनादेश दिनांक 25-8-2020 में निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप ही बायर द्वारा ई0एम0डी0 जमा करायी जाय।

(vi) कार्मिकों को देय मानदेय के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 25.08.2020 के अनुसार कार्यवाही की जाय, जिसमें यह सुपष्ट उल्लिखित है कि जिस कार्मिक को जो मानदेय प्राप्त हो रहा है, उससे कम मानदेय अनुमन्य नहीं किया जायेगा।

(vii) अपरिहार्य स्थिति तथा बिना किसी ठोस कारण के बार-बार निविदा तिथि न बढ़ाई जाय तथा निर्धारित अवधि में ही निविदा प्रक्रिया का निष्पादन सुनिश्चित किया जाय।

(viii) निविदाओं में अवांछित प्रश्न न मांगे जायं और न ही अनावश्यक नई शर्त लगाकर सेवाप्रदाताओं की निविदायें निरस्त की जायं। कोई भी विशिष्ट शर्त लगाने से पूर्व जेम नीति का अध्ययन गहनता से भली-भांति कर लिया जाय तथा जेम निविदा में कोई भी ऐसी अनावश्यक शर्त न रखी जाये जो जेम नीति अथवा संबंधित शासनादेशों के प्राविधानों में विचलन उत्पन्न करती हों।

(ix) सेवा शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि न्यूनतम 0.01 प्रतिशत सेवा शुल्क से अभिप्राय दो कम्पनियों/सेवा प्रदाताओं के मध्य सेवा शुल्क के अन्तर से है। सेवा शुल्क के निर्धारण हेतु उदाहरण निम्नवत है, जिसका उपयोग किया जा सकता है-

क्र0स0	विवरण	दर (प्रतिशत)
1	आयकर कटौती, सेवा प्रदाता हेतु आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194 की उपधारा 'सी' के अन्तर्गत	2
2	जी0एस0टी0 कटौती	2
3	जेम सेवा शुल्क	0.50
4	बीमा	नियमानुसार

	बोनस	बोनस यदि देय हो तो आगणित किया जाय अथवा नहीं

कार्य की गुणवत्ता के दृष्टिगत उक्त मानक के अतिरिक्त जो भी सेवा शुल्क बायर विभाग निर्धारित करना चाहें स्वविवेक से निर्णय ले सकते हैं।

(x) सक्षम तथा सुदृढ़ सेवा प्रदाताओं के चयन हेतु आवश्यक है कि सेवा प्रदाताओं का चयन दीर्घकालीन अवधि हेतु किया जाये। सेवाओं के क्रय हेतु विभागीय सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रय नीति-2020 को लागू किया गया है, जिसके अन्तर्गत आरक्षण/क्रय नीति तभी लागू होगी जब निविदा RUN L1 के द्वारा प्रदेश के बाहर की कम्पनी को आवंटित हों और प्रदेश की सूक्ष्म एवं लघु कम्पनियों द्वारा तकनीकी निविदा क्वालीफाई की गयी हो, ऐसी स्थिति में यदि प्रदेश की इकाईयां एल-1 कम्पनी द्वारा दी गयी दरों पर कार्य करने की इच्छुक हों तो एल-1 को आवंटित कुल कार्यादेश का 25 प्रतिशत तक का कार्य प्रदेश की एक या एक से अधिक इकाईयों के मध्य आवंटित किया जायेगा।

(xi) सेवा प्रदाताओं को किसी भी दशा में मैन्युवल निविदा आवंटित न की जाय।

4- विभागाध्यक्षों द्वारा निविदा उपरान्त सेवा प्रदाता कम्पनियों पर निम्न बिन्दुओं के आधार पर नियंत्रण रखा जायेगा ताकि उनके द्वारा किसी कार्मिक का उत्पीड़न न किया जा सके-

(i) सेवा प्रदाता द्वारा निविदा आवंटन हेतु जमा की गयी ई.एम.डी./एफ.डी./बी.जी. सत्यापन अवश्य कराया जायेगा तथा निविदा आंवटन पश्चात् जब तक सेवा प्रदाता द्वारा EPBG जमा नहीं की जायेगी तथा उसका सत्यापन नहीं हो जायेगा, तब तक सेवा प्रदाता को कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति नहीं होंगी।

(ii) सेवा प्रदाता को नये कार्मिकों की भर्ती शत-प्रतिशत श्रम विभाग के शासनादेश दिनांक 18.08.2020 के क्रम में सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से करनी होगी। पुराने कार्यरत कार्मिकों की सूची एक बार में अन्तिम रूप में बना ली जाय। पूर्व कार्मिकों के सत्यापन का कार्य वेतन निर्गमन के साथ ई0पी0एफ0/ई0एस0आई0/नियुक्ति पत्र के आधार पर किया जायेगा।

(iii) विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि सेवा प्रदाता को समाप्त हुए माह के अगले कार्य दिवस में कार्मिकों की उपस्थिति ई-मेल द्वारा उपलब्ध करा दी जाय। उपस्थिति प्राप्त होने के 04 से 06 कार्य दिवस के अन्दर सेवा प्रदाता द्वारा कार्मिकों को उनका मानदेय अवश्य प्रदान कर दिया जाय तथा प्रत्येक माह की 14 तारीख तक पी.एफ. एवं ई.एस.आई. आदि सेवा प्रदाता द्वारा जमा कर दी जाये। उक्त के दृष्टिगत विभागाध्यक्ष द्वारा सेवाप्रदाताओं को संबंधित धनराशि का भुगतान 30 कार्य दिवस में अवश्य कर दिया जाय। मानदेय भुगतान में विलम्ब की स्थिति में जेम नीति के अनुसार सेवा प्रदाता के ऊपर दण्ड अधिरोपित किया जा सकता है।

5- उल्लेखनीय है कि प्रदेश में मैनपावर आपूर्ति (आउटसोर्सिंग ऑफ मैनपावर) के कार्य को पारदर्शी व समयबद्ध रूप से तथा भ्रष्टाचार मुक्त कराये जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के विभागों व उनके अधीनस्थ संस्थानों में मैनपावर आपूर्ति हेतु जेम पोर्टल की व्यवस्था लागू की गयी है। इस हेतु समय-समय पर स्पष्ट शासनादेश भी निर्गत किये गये हैं, परन्तु अभी भी कतिपय विभागों द्वारा जेम पोर्टल की व्यवस्था को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है और कतिपय पृच्छायें की जा रही हैं, जबकि जेम पोर्टल पर सामग्रियों के क्रय व सेवाओं की आपूर्ति में आ रही किसी भी कठिनाई के निराकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा जेम प्रकोष्ठ की स्थापना भी की गयी है, जिसके माध्यम से कठिनाइयों का निराकरण कराया जा सकता है।

6- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में प्रदेश में मैनपावर आउटसोर्सिंग हेतु निर्गत सुसंगत शासनादेशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित

कराने का कष्ट करें। उपर्युक्त आदेश आउटसोर्सिंग के संबंध में योजित रिट याचिका संख्या-7937(एम.बी.)/2020 एवं याचिका संख्या-31208/2009(एम.बी.) में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय के अधीन प्रभावी होंगे।

भवदीय,

. राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रमुख सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
(2) प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमं ी जी।
(3) निजी सचिव, मा0 मं ीगण को, मा0 मं ीगण के सूचनार्थ।
(4) निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
(5) प्रमुख सचिव, विधान परिषद/विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
(6) सचिव, राजस्व परिषद, लखनऊ।
(7) सचिव, लोक सेवा आयोग उ0प्र0, प्रयागराज।
(8) सचिव, उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
(9) निदेशक, सेवायोजन विभाग, लखनऊ।
(10)निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, लखनऊ।
(11)वेब अधिकारी/वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उ0प्र0।
(12) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से

नवनीत सहगल
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-31/2020/273/18-2-2020-97(ल0उ0)/2016टी.सी.

प्रेषक,

नवनीत सहगल
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उ0प्र0 शासन।

2-आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उ0प्र0,
कानपुर।

3-समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।

4-समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

5-समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 25 अगस्त, 2020

विषयः-प्रदेश के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में मैनपावर (आउटसोर्सिंग ऑफ मैनपावर) तथा अन्य उपलब्ध सेवाओं के क्रय के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेण्ट-ई-मार्केटप्लेस, जेम (GeM) की व्यवस्था लागू किये जाने हेतु दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में सामाग्री के क्रय तथा सेवाओं की आपूर्ति हेतु प्रदेश सरकार ने भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेण्ट-ई-मार्केटप्लेस, जेम (GeM) को शासनादेश संख्या-11/2017/523/18-2-2017-97(ल.उ.)/2016, दिनांकः 23.08.2017 द्वारा अंगीकृत किया गया है। कार्मिक विभाग द्वारा उक्त शासनादेश के क्रम में उत्तर प्रदेश के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में मैनपावर के क्रय (आउटसोर्सिंग ऑफ मैनपावर) के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेण्ट-ई-मार्केटप्लेस, जेम (GeM) की व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-8/2019/20/1/91-का-2/2019, दिनांक 18.12.2019 जारी किया गया है। इस शासनादेश के प्रस्तर-7 में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा सेवायोजन विभागों से शासनादेश में दी गई व्यवस्था के सम्बन्ध में संगत कार्यवाही सुनिश्चित कराने की अपेक्षा की गई है।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-8/2019/20/1/91-का-2/2019, दिनांक 18.12.2019 के प्रस्तर-5 के अनुसार मैनपावर आउटसोर्सिंग हेतु समयसमय पर राज्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा नामित एजेंसिया यथा-श्रीट्रान/अपट्रान/इूडा/यूपीडेस्को/यूपीएसआईसी इत्यादि के माध्यम से वर्तमान में प्रचलित आउटसोर्सिंग व्यवस्था से सम्बन्धित समस्त आदेश निरस्त कर दिये गये हैं। अतः प्रदेश के समस्त शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं/निगमों/उपक्रमों आदि में जेम पोर्टल के माध्यम से अनिवार्य रूप से बिड के माध्यम से ही मैनपावर आउटसोर्सिंग की व्यवस्था की जायेगी, जिस हेतु दिशा-निर्देश निम्नवत् हैः-

1- शासनादेश संख्या-8/2019/20/1/91-का-2/2019, दिनांक 18.12.2019 के प्रस्तर-3(1) के अनुसार सेवा प्रदाता द्वारा सम्भावित कार्मिक से किसी भी प्रकार की धनराशि लेना पूर्णतः वर्जित है। सेवा में रखे जाने के बाद समय से एवं पूर्ण भुगतान न करने के संबंध में क्रेता विभाग को सेवा प्रदाता के विरूद्ध कोई भी शिकायत प्राप्त होने पर डीलिस्टिंग की कार्यवाही करने का अधिकार क्रेता विभाग/एजेंसी को होगा। क्रेता विभाग उक्त कार्यवाही से जेम, भारत सरकार को अवगत करायेगा।

2- उक्त शासनादेश के प्रस्तर-3(2) के अनुसार किसी भी प्रकार की अनियमिता को रोकने के लिए सेवा प्रदाता द्वारा अभ्यर्थियों का चयन अनिवार्य रूप से सेवायोजन पोर्टल sewayojan.up.nic.in के माध्यम से वरिष्ठता के आधार पर किया जायेगा। सेवायोजन विभाग अपने पोर्टल पर यह सुनिश्चित करेगा कि एक ही व्यक्ति मल्टीपल पंजीकरण न करा सकें।

3- उक्त शासनादेश के प्रस्तर-3(3) के अनुसार आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवायोजित होने के उपरान्त किसी कर्मी को सेवा प्रदाता स्वमेव बदल नहीं सकता। अनुशासनहीनता तथा दण्डनीय अपराध आदि की स्थिति में क्रेता विभाग की सहमति के पश्चात ही चयनित/कार्यरत कर्मचारियों को सेवाप्रदाता द्वारा हटाया जा सकेगा।

4- उक्त शासनादेश के प्रस्तर-3(4) के अनुसार जेम के माध्यम से ही आउटसोर्सिंग कर्मी लेने की अनिवार्यता किये जाने से वर्तमान में कार्य कर रहे कर्मियों की निरन्तरता बाधित नहीं की जायेगी। वर्तमान में कार्य कर रहे आउटसोर्स कर्मियों को ही जेम पोर्टल द्वारा चयनित सेवाप्रदाताओं द्वारा रखा जायेगा। इस हेतु कार्यरत कर्मचारियों की सेवा के सम्बन्ध में संतुष्ट प्रमाण पत्र क्रेता विभाग द्वारा सेवाप्रदाता को उपलब्ध कराया जायेगा। केवल नवीन कर्मियों का चयन सेवायोजन पोर्टल से ही अनिवार्य रूप से किया जायेगा।

5- उक्त शासनादेश के प्रस्तर-4(1) के अनुसार कार्मिकों को विलम्ब से भुगतान को रोकने के लिए क्रेता विभाग द्वारा आउटसोर्सिंग एजेन्सी को उपलब्ध करायी गयी धनराशि पर 18 प्रतिशत ब्याज व पेनाल्टी लगायी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6- उक्त शासनादेश के प्रस्तर-4(3) के अनुसार अभ्यर्थियों की तैनाती के लिये सेवायोजन विभाग द्वारा तैयार किये गये पोर्टल से कैन्डीडैट्स को वरिष्ठता क्रम के अंतर्गत चयन किये जाने हेतु, सेवाप्रदाता से विभागों द्वारा कर्मियों की माँग के अनुसार यथा एक कर्मी के लिये पोर्टल से पाँच आवेदनकर्ताओं तथा 2 या 2 से अधिक कर्मियों की माँग पर तीन गुना परन्तु न्यूनतम दस आवेदनकर्ताओं में से चयन किया जायेगा। सेवाप्रदाता द्वारा एक पारदर्शी व्यवस्था बनाकर उनकी क्षमता, योग्यता पर मूल्यांकन करते हुये चयन किया जायेगा जिसमें क्रेता विभाग की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी।

(उपरोक्त व्यवस्था के लिये जेम, भारत सरकार ने उक्त विशिष्ट शर्तें Additional Terms and Conditions(ATC) के Human Resource and Payment clause के अंतर्गत सम्मिलित कर ली गयी है। इन शर्तों को बिड बनाते समय क्रेता विभाग द्वारा अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जायेगा)

7- जेम पोर्टल पर पंजीकृत क्रेता विभाग अपनी बायर आई0डी0 से जेम पर लागिन करके सर्विस सेक्शन में जाकर "मैनपावर रिसोर्स आउटसोर्सिंग सर्विसेस"" का चयन करेगा।

8- क्रेता विभाग तत्पश्चात् सम्बन्धित सेवा के Service Level Agreement (SLA) की शर्तों के अनुसार निर्धारित फिल्टर का उपयोग करते हुए जेम पोर्टल पर अनिवार्य रूप से बिड फ्लोट करेगा।

9- जेम पोर्टल पर यह व्यवस्था है कि कोई क्रेता यदि अपने अनुरूप नई शर्त जोड़कर बिड प्राप्त करना चाहता है तो वह जेम पर नई शर्त का सुझाव प्रेषित कर सकता है और जेम द्वारा शर्त को उपयुक्त पाये जाने पर क्रेता विशेष के लिए अथवा सामान्य रूप से बिड में जोड़ा जा सकता है। इस प्रकार कर्मियों से जबरदस्ती यदि कोई धनराशि सेवाप्रदाता लेने का प्रयास करता है तो सेवाप्रदाता पर कार्यवाही की शर्त जोड़ी जा सकती है।

3. **सेवा प्रदाता हेतु अर्हताएंः-**

1- विभिन्न सेवाओं के लिये सेवा प्रदाता की अर्हताएं जेम पोर्टल पर पूर्व से निर्धारित है। उदाहरण- यदि बिड की अनुमानित लागत 1 करोड़ है तो क्रेता विभाग न्यूनतम धनराशि रू0 50 हजार एवं अधिकतम रू0 5 लाख EMD/FDR के रूप में मांग कर सकता है।

उक्त के क्रम में निम्नवत व्यवस्था की जाती है-

क्र0सं0	**निविदा मूल्य**	**ई0एम0डी0/एफ0डी0आर0 धनराशि**
1-	5 लाख से 1 करोड़ रूपये तक	0.5 प्रतिशत से 5 प्रतिशत के मध्य क्रेता विभाग स्वविवेक से निर्णय लेगा।
2-	1 करोड रूपये से ऊॅ	5 प्रतिशत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षरं की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

ई0एम0डी0/FDR जमा करने के संबंध में आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के शासनादेश संख्या 1/2018/3070/78-2-2018/42आई0टी0/2017(22) दिनांक 03 जनवरी, 2018 के प्रस्तर-4 में उल्लिखित व्यवस्था अनुमन्य होगी।

2- जेम पोर्टल पर 5 लाख से अधिक धनराशि की बिड पर, L-1 निविदा लागत राशि की 2% से 10% तक की बैंक गारंटी/FDR लिये जाने का प्राविधान है। उदाहरण- L-1 सेवा प्रदाता के चयन के उपरान्त, यदि L-1 रू0 90 लाख आता है तो न्यूनतम रू0 1,80,000 अर्थात 2% व अधिकतम 9 लाख अर्थात 10% की बैंक गारंटी/FDR की मांग कर सकता है।

उक्त के क्रम में निम्नवत व्यवस्था की जाती है-

क्र0सं0	निविदा मूल्य (रूपयें में)	बैंक गारंटी/FDR
1-	1 करोड़ से कम मूल्य की निविदा	2 प्रतिशत
2-	1 करोड़ से 3 करोड़ के मध्य मूल्य की निविदा	5 प्रतिशत
3-	3 करोड़ से अधिक मूल्य की निविदा	10 प्रतिशत

3- सेवा प्रदाता का टर्नओवर निविदा की लागत का न्यूनतम 30 % या उससे अधिक होना चाहिये। उदाहरण- यदि बिड का अनुमानित मूल्य 0 1 करोड़ है और क्रेता विभाग 30 % टर्नओवर वाले फिल्टर/आप्शन का प्रयोग करता है, तो कोई भी सेवा प्रदाता जिसका विगत 3 वर्षों में न्यूनतम 30 लाख का टर्नओवर रहा हो, वह बिड कर सकता है।

4- सेवा प्रदाता के पास विगत 3 वर्षों में Gov/PSU/Gov.Ltd कंपनी में समान श्रेणी के कार्मिकों की आपूर्ति के कार्य का अनुभव तथा उस प्रकार के कार्य को करनेका अनुमानित कार्य लागत का 80% का एक कार्यादेश अथवा 50% के दो अथवा 40% के तीन कार्यादेश होना अनिवार्य है। उदाहरण- यदि बिड की अनुमानित राशि रू0 1 करोड़ है और क्रेता विभाग अनुभवी सेवा प्रदाता वाले फिल्टर/आप्शन का उपयोग करता है तो GTC के अनुसार यदि किसी सेवा प्रदाता ने विगत 3 वर्षों मे 80 लाख मूल्य का एक क्रयादेश पूर्ण किया हो या 50 लाख मूल्य के दो क्रयादेश अथवा 40 लाख मूल्य के तीन क्रयादेश में पूर्ण किये हों तो ही वह सेवा प्रदाता तकनीकी बिड हेतु अर्हता प्राप्त कर सकता है।

5- सेवा प्रदाता द्वारा न्यूनतम 0.01% सर्विस चार्ज का प्राविधान है। संबंधित विभाग सुसंगत वित्तीय नियमानुसार अपने स्तर से निर्णय लेगा कि सेवाओं की गुणवत्ता के दृष्टिगत, सेवा प्रदाता को कितना न्यूनतम सर्विस चार्ज निर्धारित किया जाये। सर्विस चार्ज, श्रोत पर आयकर कटौती, जी0एस0टी कटौती, जेम सेवा शुल्क, बीमा एवं बोनस इत्यादि (यदि प्राविधान हो) के कुल योग से किसी भी दशा में न्यून नहीं होगा।

6- किसी भी विभाग द्वारा किसी गुणवत्तापूर्ण सेवा के लिये कर्मियों को कितना मानदेय देय होगा इसका निर्णय संबंधित विभाग, विभिन्न सुसंगत वित्तीय नियमों के अनुरूप एवं श्रम विभाग के न्यूनतम वेजेज के अनुसार करेगा, जो कि वर्तमान में कार्मिकों को

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्राप्त हो रहे मानदेय से कम अनुमन्य नहीं होगा। श्रम संविदा नियमावली, सप्ताहिक, राजकीय, मातृत्व आदि अवकाश एवं कार्य के घण्टे जैसे नियमों का अनुपालन कराने की जिम्मेदारी क्रेता विभाग की होगी।

7- सेवा प्रदाता द्वारा EPF, ESI & GST आदि की कटौती Service Level Agreement (SLA) के अनुसार की जायेगी, क्रेता विभाग द्वारा इसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

8- यदि किसी क्रेता द्वारा किसी विशेष शर्त की आवश्यकता अनुभव की जाती है (जैसा कि निर्धारित सीमा से भिन्न, न्यूनतम बिड राशि/न्यूनतम टर्नओवर अथवा कर्मियों की संख्या पोर्टल पर उपलब्ध मैन पावर के अनुसार अन्य शर्तें) तो जेम में क्रेता के क्रय हेतु विशेष शर्त को सम्मिलित किये जाने की भी व्यवस्था उपलब्ध है, जिसे विभागाध्यक्ष की लिखित अनुमति के पश्चात् Request Module पर जाकर किया जा सकता है। शर्त यह होगी कि न्यूनतम अर्हताओं में कोई छूट नहीं होगी।

4- वित्तीय निविदा खोलने के लिए कम से कम 3 फर्मों को न्यूनतम तकनीकी योग्यता पास करना आवश्यक होगा। वित्तीय निविदा खुलने के उपरान्त यदि एक से अधिक सेवा प्रदाता L-1 आते हैं, तो सिस्टम में उपलब्ध रन L-1 सेलेक्शन टूल का उपयोग अनिवार्य रूप से करते हुए सिस्टम द्वारा चयनित L-1 फर्म को क्रयादेश निर्गत किया जायेगा। यदि ,d बार निविदा आमंत्रित करने के उपरान्त भी nl jh बार निविदा खोलते समय तीन फर्मों से कम फर्म तकनीकी योग्यता पास करती हैं तो वित्तीय निविदा खोलने जाने के संबंध में विभागाध्यक्ष द्वारा निर्णय ले लिया जायेगा।

5- जेम पर भुगतान के लिए आनलाइन व्यवस्था(जेम पूल एकाउंट) प्राइमरी यूजर्स के लागिन में उपलब्ध हैं। क्रेता विभाग द्वारा जेम पूल एकाउंट के माध्यम से भुगतान की प्रक्रिया एक माह में सुनिश्चित की जायेगी।

6- जेम पोर्टल से सेवा क्रय करने की प्रक्रिया पूर्ण करने में कम से कम 15 दिन का समय लगता है। सम्बन्धित विभाग सेवा की आवश्यकतानुसार यह सुनिश्चित करेगें कि वर्तमान में चल रहें अनुबंध समाप्त होने के कम से कम एक माह पूर्व ही मैनपावर सेवा क्रय की जेम पोर्टल पर प्रक्रिया प्रारम्भ कर देगें, ताकि शासकीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न न हो। सेवा क्रय करने वाले विभाग को पूर्व में शासनादेश संख्या-11/2017/523/18-2-2017-97(ल030)/2016 दिनांक 23.08.2017 के माध्यम से स्पष्ट किया जा चुका है कि उनके द्वारा अपनी आवश्यकताओं को जोन, मण्डल, जनपद अथवा किसी अन्य वर्गीकरण के आधार पर टुकड़ों में नहीं लिया जायेगा, अभिप्राय यह है कि क्रेता विभाग को जिन कर्मिकों की आवश्यकता होगी उनकी जेम पोर्टल के माध्यम से एक ही बिड की जायेगी, जिससे सुदृढ़ एवं सक्षम सेवा प्रदाता का चयन हो सके।

7- विभाग द्वारा प्रचलित अनुबन्ध (contract) से संतुष्ट न होने पर सेवा प्रदाता पर उचित कार्यवाही हेतु क्रेता विभाग, जेम पोर्टल के Buyer Login में उपलब्ध Incident

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

management में जाकर उस प्रचलित अनुबन्ध (contract) के विरूद्ध कार्यवाही हेतु अनुरोध करेगा। जेम पोर्टल पर सेवा प्रदाता पर Incident management Policy के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

8- जेम के सामान्य नियम व शर्तों में इंगित है कि अनुबन्ध(contract) क्रेता व सेवा प्रदाता के बीच है। यदि किसी कान्ट्रैक्ट के प्रचलित रहते हुए अन्य किसी प्रकरण में सेवा प्रदाता के विरूद्ध डिलिस्टिंग की कार्यवाही अमल में लायी जाती है, तो इस सूचना के आधार पर अन्य क्रेता अपने स्वविवेक से अपना कान्ट्रैक्ट जारी रखने या समाप्त करने का निर्णय ले सकता है, परन्तु अन्य प्रचलित कान्ट्रैक्ट स्वतः समाप्त नहीं होंगे।

9- जेम पोर्टल से उत्पाद एवं सेवाओं के क्रय हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के पत्र संख्या-7/2020/151/18-2-2020-63(ल0उ0)/2012 दिनांक 19 मार्च, 2020 के द्वारा जारी क्रय नीति-2020 के प्रस्तर-2 के अनुरूप प्रत्येक राज्य के विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आदेश निर्गत होने की तिथि से अपने अधीन प्रस्तावित कुल वार्षिक सेवापूर्ति का न्यूनतम 25 प्रतिशत लक्ष्य उत्तर प्रदेश में स्थिति सूक्ष्म, एवं लघु सेवा प्रदाताओं से आपूर्ति करने के उद्देश्य से निर्धारित करेंगे। प्रदेश की सूक्ष्म, एवं लघु सेवाप्रदाताओं हेतु आरक्षित इस 25 प्रतिशत में से 3 प्रतिशत महिला सेवा प्रदाताओं से 4 प्रतिशत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सेवा प्रदाता से एवं 5 प्रतिशत लक्ष्य ग्रीन प्रोक्योरमेन्ट के अनुसार पर्यावरणीय अनुकूल सेवा प्रदाताओं द्वारा क्रय/आपूर्ति हेतु निर्धारित किया जायेगा। निविदाओं के संबंध में प्राइसमैंचिग के विकल्प हेतु उक्त नीति के प्रस्तर-4 के अनुरूप यदि टेण्डर में एल-1 आफर देने वाली फर्म सूक्ष्म एवं लघु उद्यम से इतर है (अर्थात मध्यम या बृहद् उद्यम /सेवा प्रदाता है) और किसी सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के द्वारा एल-1 आफर के मूल्य के 15 प्रतिशत की सीमा तक अधिक मूल्य अंकित किया गया है तो ऐसी दशा में यदि प्रदेश की एमएसएमई तकनीकी रूप से अर्ह है तो उक्त सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (या एक से अधिक ऐसे उद्यमों की दशा में 15 प्रतिशत बैण्ड में स्थित सभी सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों) को यह अधिकार होगा कि वे अपने मूल्य को एल-1 स्तर पर लाकर कुल निविदा मूल्य के 25 प्रतिशत तक आपूर्ति कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में विभाग या उपक्रम द्वारा अनुमति दी जायेगी तथा आपूर्ति भी सुनिश्चित की जायेगी। एक से अधिक सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों की दशा में उनसे ली जाने वाली आपूर्ति को उनके द्वारा निविदत्त मात्रा के आनुपातिक रूप में बांटा जायेगा। इस संबंध में सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रय नीति 2020 की व्यवस्था एवं शर्तें यथा आवश्यकता लागू होंगी।

10- इस शासनादेश के निर्गत होने के पश्चात् जेम पोर्टल/ई-निविदा के माध्यम से पूर्व में निष्पादित हुई निविदाओं, जिनमें क्रयादेश जारी किया जा चुका है, का नवीनीकरण/विस्तारीकरण नहीं किया जायेगा। इस शासनादेश के क्रम में तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-5/2020/20/1/91-क-2/2020 दिनांक 25 जून, 2020 में निर्धारित समयावधि पूर्ण होने पर पूर्ववर्ती निविदायें निरस्त मानते हुये नई निविदायें जेम से की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जायेंगी। उक्त के अतिरिक्त कार्मिक विभाग के संदर्भगत शासनादेश संख्या-8/2019/20/1/91-का-2/2019 दिनांक 18.12.2019 व श्रम विभाग के शासनादेश संख्या-717/छत्तीस-5-2020-8(26)/2020 दिनांक 18-8-2020 में वर्णित अन्य शर्तें/प्राविधान यथावत लागू रहेंगे।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपयां उल्लिखित दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें। उपर्युक्त आदेश आउटसोर्सिंग के संबंध में योजित रिट याचिका संख्या-7937(एम.बी.)/2020 एवं रिट याचिका संख्या-31208/2009(एम.बी.) मे.आर.एम.एस. टेक्नोसोल्यूशन बनाम अपर मुख्य सचिव राजस्व एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ द्वारा पारित अंतिम निर्णय के अधीन प्रभावी रहेंगे।

भवदीय,
नवनीत सहगल
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

(1) प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
(2) प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
(3) निजी सचिव, मा0 मंत्रीगण को, मा0 मंत्रीगण के सूचनार्थ।
(4) निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
(5) प्रमुख सचिव, विधान परिषद/विधानसभा, उत्तर प्रदेश।
(6) सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
(7) सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(8) सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
(9) निदेशक, सेवायोजन विभाग, उत्तर प्रदेश।
(10) निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
(11) वेब अधिकारी/वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश।
(12) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
प्रदीप कुमार
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-24/2020/279/18-2-2020-97(ल0उ0)/2016

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी

मुख्य सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

2- समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।

3- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

4- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

5- आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन उ0प्र0, कानपुर।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 19 जून,2020

विषय: समस्त विभागों में शासकीय क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से ही करने के संबंध में।

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि शासनादेश सं-11/2017/523/18-2-2017-97(ल0उ0)/2016, दिनांक 23 अगस्त, 2017 द्वारा समस्त शासकीय क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से किये जाने का निर्णय लिया गया है। ऐसा जानकारी में आया है कि कुछ विभागों द्वारा अभी भी येन-केन-प्रकारेण रेट कांट्रैक्ट अथवा ई-टेण्डर के माध्यम से विभागों में विभिन्न वस्तुओं की आपूर्ति करायी जा रही है जो उपर्युक्त शासनादेश जारी होने के बाद से अनियमित प्रक्रिया है। शासनादेश के अनुसार अब समस्त क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से ही किया जाना है जैसा कि शासनादेश में पूर्व में ही स्पष्ट किया गया है। यदि कोई वस्तु सामग्री, सेवा जेम पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है तो पत्रावली पर विभागाध्यक्ष अथवा कार्यालयाध्यक्ष स्वयं प्रमाणित करेंगे कि वह वस्तु जेम पर उपलब्ध नहीं है। उक्त प्रमाणीकरण के पश्चात ही वह सामग्री ई-टेण्डर के माध्यम से क्रय की जा सकेगी। वर्णित प्रक्रिया के इतर यदि कोई भी अन्य क्रय प्रक्रिया अपनाई जाती है तो वह वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में मानी जाएगी तथा तदनुसार शासन के संज्ञान में आने पर प्रभावी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेश शासकीय वेबसाइट shasandesh.up.nic.in पर उपलब्ध हैं। उक्त प्रक्रिया का सम्यक अनुपालन कराना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

उपर्युक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि जेम पोर्टल पर पंजीकरण अथवा क्रय के संबंध में आने वाली किसी भी प्रकार की समस्या के निराकरण के लिए उत्तर प्रदेश GOTT-PMU का गठन किया गया है, जिसमें हर विभाग से एक-एक नोडल अधिकारी और टेक्निकल कर्मचारी जेम पोर्टल के कार्य के लिए नामित किया जाना आवश्यक है। अतः अनुरोध है कि कृपया उत्तर प्रदेश GOTT-PMU हेतु अपने-अपने विभाग के एक नोडल अधिकारी व एक टेक्निकल कर्मचारी नामित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

राजेन्द्र कुमार तिवारी

मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-11/2017/523/18-2-2017-97(ल0उ0)/2016

प्रेषक

अनिल कुमार
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

2- आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन उ0प्र0, कानपुर।

3- समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

4- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

5- समस्त जिलाधिकारी,,
उत्तर प्रदेश।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 23 अगस्त, 2017

विषयः- उत्तर प्रदेश के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस, जेम (GeM) की व्यवस्था लागू किये जाने के संबंध में।

महोदय,

भारत सरकार द्वारा शासकीय विभागों के उपयोगार्थ सामग्री व सेवाओं की क्रय व्यवस्था हेतु भारत सरकार द्वारा आनलाइन प्लेट फार्म Government e-Market Place, जेम (GeM) विकसित किया गया है। भारत सरकार द्वारा जेम (GeM) को नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंण्ट पोर्टल के रूप में अनुमोदित किया गया है और इसे सामान्य वित्तीय नियम-2017 द्वारा भारत सरकार के सभी विभागों हेतु बाध्यकारी बनाया गया है। इस प्लेटफार्म पर आपूर्तिकर्ताओं/ विक्रेताओं के साथ विविध वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध है। पोर्टल के उपयोग से शासकीय विभागों हेतु क्रय व्यवस्था को गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी एवं मितव्ययी बनाया जाना संभव हुआ है।

2- सामग्री के क्रय के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-5/2016/253/18-2-2016-3(SP)/2010, दिनांक 01 अप्रैल, 2016 के माध्यम से उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल (प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स)-2016 को प्रख्यापित किया है। इस मैनुअल के अध्याय-8, मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट के अंतर्गत प्रस्तर-8.4 में सामग्री क्रय करने हेतु विभिन्न प्रक्रियाओं की व्यवस्था की गई है। प्रस्तर-8.4 के बिंदु 10 में यह प्राविधान है कि राज्य सरकार सामग्री क्रय हेतु ऐसी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

(v) उपरोक्त मौद्रिक सीमा केवल जेम के माध्यम से क्रय करने पर लागू होगी। अन्य विधि से क्रय करने पर पूर्ववत् मौद्रिक सीमा लागू रहेगी।

(vi) क्रेता विभागों से यह अपेक्षा की जाती है कि जेम पोर्टल पर उपलब्ध व्यवसाय विश्लेषक (business analytics) टूल्स, जिसमें जेम पर उपलब्ध अंतिम क्रय मूल्य, विभाग द्वारा अंतिम क्रय मूल्य इत्यादि सम्मिलित हैं, का उपयोग कर मूल्यों के संबंध में औचित्य सुनिश्चित कर लेंगे एवं उसके बाद ही अपने क्रय आदेश देंगे।

(vii) आवश्यकता को छोटे-छोटे टुकड़ों में विभक्त कर क्रय नहीं किया जाएगा।

(viii) संबंधित विभाग जेम पोर्टल के नियम एवं शर्तों के आधार पर विभिन्न स्तर के अधिकारियों को आवश्यक अधिकार प्रतिनिधानित करने हेतु आदेश निर्गत करेंगे।

(ix) जेम पोर्टल के उपयोग में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग कार्यकारी निर्देश निर्गत कर सकेगा।

4- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्तानुसार अवगत होते हुये सभी संबंधित को अपने स्तर से सुसंगत निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय

(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या-11/2017/523(1)/18-2-2017-97(ल0उ0)/2016, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
3- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
4- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5- अध्यक्ष, केन्द्रीय सतर्कता आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(रूद्र प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।